

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना जिला झुंझुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :-

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 313/2022 (पुराना नम्बर 183/2005 एवं 45/2010)
जीसीएमएस नं.- 2022/816

बुहाना खण्ड विकास समिति बुहाना जरिये अध्यक्ष श्री रामचन्द्र पुत्र श्री
इन्द्राजसिंह जाति अहीर निवासी कलाखरी हाल आबाद सिंधाना तहसील बुहाना
जिला झुंझुनू राजस्थान।

.....वादी

बनाम

1. गुगनराम पुत्र गणेशराम जाति जाट निवासी मैनाना तहसील बुहाना (फौत)
1/1 कमलेश पुत्र गुगनराम।
1/2 सुनिता पुत्री गुगनराम।
1/3 सुमन पुत्री गुगनराम।
1/4 महेश पुत्र गुगनराम।
1/5 श्रीमति निम्बो देवी पत्नी गुगनराम।
समस्त जाति जाट निवासी मैनाना तहसील बुहाना।
2. सहीराम पुत्र सुरजाराम जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना(फौत)
2/1 प्रदम्न पुत्र सहीराम।
2/2 प्रमिला पुत्री सहीराम।
2/3 प्रतिभा पुत्री सहीराम।
समस्त जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना।
3. जयसिंह पुत्र हरलालसिंह जाति अहीर निवासी सुलताना अहीरान।
4. हजारीलाल पुत्र मूलाराम जाति खाती निवासी बुहाना। (फौत)
4/1 भगवती पुत्री हजारीलाल।
4/2 कैलाश पुत्री हजारीलाल।
4/3 ममता पुत्री हजारीलाल।
4/4 कविता पुत्री हजारीलाल।
4/5 रजनी पुत्री हजारीलाल।
समस्त जाति खाती निवासी बुहाना तहसील बुहाना।
5. अर्जुनलाल पुत्र मूलाराम जाति खाती निवासी बुहाना। (फौत)
5/1 रामनिवास पुत्र नारायणराम जाति अहीर निवासी कलाखरी।
5/1/1 शर्मिला देवी पत्नी सुनिल कुमार जाति अहीर निवासी कलाखरी।



(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)



- 5/2 अनमा ए.वी. पत्नी हरमेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी पिलानी।
5/3 रतनसिंह पुत्र प्रहलादसिंह जाति राजपुत निवासी बुहाना।
6. पुरुषोत्तम पुत्र मूलाराम जाति खाती निवासी बुहाना।
6/1 मनीराम पुत्र चिरंजीलाल जाति अहीर निवासी सहड।
6/2 राजेन्द्र पुत्र चिरंजीलाल जाति अहीर निवासी सहड।
6/3 धर्मपाल पुत्र बल्लाराम जाति अहीर निवासी सागा।
6/4 सत्यपालसिंह पुत्र बलबीर सिंह जाति अहीर निवासी मानपुरा।
7. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनू राजस्थान।
.....प्रतिवादीगण

दावा -खाता विभाजन

-: निर्णय :-

दिनांक - 21.08.2023

वादी की ओर से वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 2301/3 रकबा 1.788 है. में से वादी बुहाना खण्ड विकास समिति बुहाना को 0.5525 है. खातेदार कास्तकार धोषित कर खाता विभाजन चाहने जाने पर दिनांक 26.03.2007 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री जारी की गई। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये गये। विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दिनांक 27-05-2010 को न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय व डिक्री जारी की गई।

वादी द्वारा अंतिम डिक्री की माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कोर्ट कैम्प झुंझुनू के निर्णय दिनांक 08.02.2018 के द्वारा इस न्यायालय के अंतिम निर्णय दिनांक 27.05.2010 को खारीज किया जाकर प्रकरण इस निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया है कि पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये पुनः निर्णय पारित करे।

प्रकरण दिनांक 24.11.2022 को प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारों को नोटिस जारी किये गये। वादी की ओर से श्री राजेश यादव अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया।

दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 26.07.2007 को प्राथमिक डिक्री के अनुसार इस कार्यालय के आदेश क्रमांक राज/ 2023/ 436 दिनांक 04.08.2023 तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपोर्ट क्रमांक 2603 दिनांक 18.08.2023 को प्राप्त हुये। अधिवक्ता वादीगण ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर निवेदन किया हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव पर हम सहमत है, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे।



(सुनील कुमार चौहान)
उपरखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम निर्णय व डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

—: आदेश :-

न्यायालय वाद वादीगण बाबत खाता विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज में स्थित जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के हाल खाता सं. 227 के हाल खसरा नम्बर 3513/2301 रकबा 1.78 है। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ-1 लगायत अ-4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

जिला झुन्झुनू (राज.)

निर्णय आज दिनांक 21.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हेस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

जिला झुन्झुनू (राज.)



मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्डुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 313/2022 (पुराना नम्बर 183/2005 एवं 45/2010)

जीसीएमएस नं.- 2022/816

निर्णय दिनांक :- 21.08.2023

बुहाना खण्ड विकास समिति बुहाना जरिये अध्यक्ष श्री रामचन्द्र पुत्र श्री इन्द्राजसिंह जाति
अहीर निवासी कलाखरी हाल आबाद सिंधाना तहसील बुहाना जिला झुन्डुनू राजस्थान।

बनाम
गुगनराम पुत्र गणेशराम जाति जाट निवासी मैनाना तहसील बुहाना (फौत)

दावा बाबत -खाता विभाजन

वादी की ओर से श्री राजेश यादव एडवोकेट की में उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21.08.2023 को श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

" न्यायालय वाद वादीगण बाबत खाता विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्डुनू राज में स्थित जमाबंदी सम्बत् 2075 से 2078 के हाल खाता सं. 227 के हाल खसरा नम्बर 3513/2301 रकबा 1.78 है। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ-1 लगायत अ-4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काशतकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे।"

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 21.08.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना
जिला झुन्डुनू (राज.)